न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 67/2021
GCMS No-2021/203

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली | | 1. करनाराम पुत्र श्री हीराराम, पटेल मैसर्स राजेश्वर किराणा स्टोर नया बस स्टेण्ड रोहट,पाली<br>2. गुलाब चन्द पुत्र श्री हरक चन्द जी मैसर्स–Amarchand & Co. G&1 144 Ricco industrial Area mandore, Jodhpur |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्राथीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक - 15.11.21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 01.12.2020 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स राजेश्वर किराणा स्टोर नया बस स्टेण्ड रोहट, पाली पर गये। जिस पर वह स्वयं उपस्थित मिला। मौके पर Refined Soyabean Oil (Brand Vandana) की 24 पैक मूल बोतलें रखी हुई थी, जो प्रत्येक बोतल 500 मिलीलीटर की थी, जो आमजन को बिक्री हेतु रखा गया था, जिसमें मिलावट का शक हुआ। जिनमें से चार बोतल Refined Soyabean Oil (Brand Vandana) के नमूना वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा Refined Soyabean Oil (Brand Vandana) को चार भागों में लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1166 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना Refined Soyabean Oil (Brand Vandana) को जो अमानक Misbranded का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Brand Vandana) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Brand Vandana) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1166 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1009/एक्ट/2020/ 1007 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1162 को Misbranded माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। इस कारण पत्रावली में किसी अतिरिक्त साक्ष्य/विवेचना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Brand Vandana) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये कुल 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्राथीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 15.11.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली